न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–954 सन् 2012

सुनैना देवी.....वादी

बनाम

अरविंद सिंह वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 03.01.2022

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख प्रतिवादी फरीक–1 की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 13.10.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी फरीक–1 का संशोधन हेतु दाखिल आवेदन में कथन है कि उनकी ओर से दिनांक 23.12.2013 को बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादिनी ने अपने अर्जीदावी में सत्य को छिपाकर यह वाद बंटवारा हेतु दाखिल किया है। वादिनो ने खतियानी एराजी से निस्वत उस तथ्य को अपने अन्य दिवानी और फौजदारी मुकदमे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुकी है। परंतु भूलवश बयान तहरीरी में उन तथ्यों को प्रतिवादी फरीक–1 के द्वारा दर्ज नहीं की जा सकी। बयान तहरीरी प्रतिवादी फरीक–1 के आवेदन में लिखित तथ्यों को जोड़ना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित बातों को संशोधन क माध्यम से बयान तहरीरी में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादिनी की ओर से दिनांक 23.02.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादिनी का कथन है कि प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रतिवादी फरीक–1 लगभग सात वर्षो के बाद यह संशोधन आवेदन दाखिल

किया गया है। प्रतिवादी फरीक–1 के संशोधन आवेदन के कंडिका–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी फरीक–1 की सही तथ्यों की जानकारी काफी पूर्व से थी, फिर भी अपने बयान तहरीर में इसका जिक्र नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में कानूनी रूप से संशोधन आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रतिवादी फरीक–1 ने गलत आशय के साथ संशोधन आवेदन दाखिल किया है। अतः प्रतिवादी फरीक–1 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 13.10.2020 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में विचारण प्रारंभ हो गया है और प्रतिवादी फरीक–1 की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में प्रतिवादी फरीक–1 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में 500/–रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादी को प्रदान कर प्रस्तुत वाद के बयान तहरीरी में संशोधन करें।

वाद दिनांक 17.01.2022 को अग्रिम कायवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।